(2)

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–डॉ एस.पी.सिंह (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 37/2018

बउनवान

रामपाल पुत्र श्री रघुनाथ आयु 50 साल जाति–बैरवा निवासी–ग्राम बालुन्दा तहसील–मॉगरोल जिला–बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, मॉगरोल

(रेस्पोंडेंट)

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज.)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री कमलदीप सिंह हाडा, अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 24.09.2018

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल के आदेश दिनांक 18.02.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–बालुन्दा, तहसील–मॉगरोल की आराजी खसरा नम्बर 184 रकबा 0.20 हैक्टर किस्म बंजड पर अतिक्रमी मानकर 320/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं कानूनी मान्यता प्राप्त सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौके पर कब्जे बाबत कोई पुष्टि [illegible] वालो की कोई साक्ष्य रेकार्ड पर नहीं लेकर मात्र पटवारी [illegible] आधार पर अपीलांट को सुनवायी एवं जवाबदेहीं का [illegible] निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का [illegible] जुर्माना राशि जमा करा दी है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय [illegible] उपस्थित हुआ तथा जुर्माने पर हस्ताक्षर कराये थें। अपीलांट [illegible] कोई सूचना नहीं दी है। सेट प्रफोर्मा पर बिना सूचना के सिविल कारावास की सजा दी गयी हे जो विधि विरुद्व होने से निरस्त योग्य है। अतः निर्णय [illegible] निरस्त फरमाया जाकर, दोषमुक्त घोषित किया जावे।

इस [illegible] किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा [illegible] मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर
बारां (राज.)

4– यह कि दिनांक 14/2/2018 को अतिक्रमी [illegible]

जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। अपीलांट नोटिस की पालना में अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ था तथा जुर्माना राशि जमा करायी थी। उस दिन सजायाब आदेश से अपीलांट को अवगत नहीं कराया था। निर्णय बाद में लिखा गया है जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है, कब्जा पूर्व से हीं छोड रखा है। निर्णय हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर पश्चात्वर्ती मानकर पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती बाबत कोई रेकार्ड नहीं है। निर्णय एकपक्षीय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.2.2016 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 80/15 निर्णय दिनांक 23.2.2015 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 73/2016 में पारित निर्णय दिनांक 18.02.2016 दी गयी सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तहसीलदार, मॉगरोल के समक्ष दो माह में उपस्थित [illegible] पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं [illegible] मॉगरोल कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्याया[illegible] द्वारा निर्णय दिनांक 18.02.2016 से दी गयी सिविल का[illegible] की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉग[illegible] निर्णय दिनांक 18.02.2016 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 24.09.201[illegible] इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर,बारां

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज०)
सत्यमेव जयते
Web ... Official